स्टार्टअप नीति के तहत इन्क्यूबेटर्स के प्रोत्साहन के लिए नियम व शर्तें तय

उप्र स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के तहत इन्क्यूबेटर्स (स्टार्टअप शुरू करवाने वाले केंद्र) की स्थापना व प्रोत्साहन के लिए शासन ने नियम व शर्तें निर्धारित कर दी हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्षों तक नीति वैध होगी। साथ ही पुरानी नीति के तहत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स को भी प्रोत्साहन का लाभ दिया जा सकेगा।

शर्तों के अनुसार रजिस्ट्रार आफ कंपनीज में इन्क्यूबेटर्स का पंजीकरण जरूरी होगा। पंजीकृत नाम पर इन्क्यूबेटर को बैंक में खाता खोलना होगा। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने आइटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। नीति के तहत पांच वर्षों तक परिचालन व्ययों की पूर्ति का प्रविधान है। इन्क्यूबेटर की मान्यता के बाद परिचालन व्यय का आवेदन स्टार्टअप की संख्या के आधार पर अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। पांच वर्षों तक बैलेंस शीट का आडिट करवाना होगा। इन्क्यूबेटर्स भरण-पोषण के लिए प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप की अनुशंसा कर सकेंगे। मान्यता के लिए आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही शैक्षिक संस्थान युक्त इन्क्यूबेटर्स को 10,000 व वाणिज्यिक संस्थान युक्त इन्क्यूबेटर्स को 5,000 वर्ग फीट फ्लोर एरिया का इंतजाम करना होगा। बैठक व सम्मेलन कक्ष तथा कैफेटेरिया का भी निर्माण करवाना पड़ेगा। नियमित संचालन के लिए एक प्रबंधक व दो सहायकों की नियुक्ति करनी होगी। स्थापना व क्षमता विस्तार के लिए व्यय राशि का 50% अथवा एक करोड़ रुपये तक पूंजिगत व्यय के अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। बुंदेलखंड व पूर्वांचल के लिए पूंजिगत व्यय के अनुदान की प्रतिपूर्ति 1.25 करोड़ रुपये तक की जाएगी। इन्क्यूबेटर्स को परिचालन अनुदान के रूप में 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।